राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1233/2007

उमराव सिंह चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, लालगढ पैसेल, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक) 1, भीलवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह नैन, अधिवक्ता,
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 07.12.1974 को हुई थी। बाद में अपीलार्थी ने एसटीसी दिनांक 19.01.1976 को उत्तीर्ण की। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 12.02.1999 के द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में दिये गये चयनित वेतनमान वापस लेते हुए अपीलार्थी से वसूली किये जाने के आदेश दिये, जिस आदेश दिनांक 12.02.1991 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी ने इस अपील में चुनौती दी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने हमारे समक्ष यह कथन किया है कि राज्य सरकार ग्राम विकास एवं पंचायतीराज विभाग के परिपत्र दिनांक 29.04.1993 जारी किया है, जिसमें यह माना गया है कि यदि अध्यापक पद पर निर्धारित योग्यता अध्यापक की एडहॉक नियुक्ति राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा नियम, 1959 के नियम 23 के अनुसार की जाती है तथा सेवा में निरन्तर रहते हुए उसका सेवा चयन आयोग द्वारा कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही नियमानुसार नियुक्ति मानते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के नियम 3 के अनुसार 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर देय चयनित वेतामान हेतु सेवा की गणना की जानी चाहिए।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा निर्णित प्रकरण एसबी सिविल रिट पिटीशन रिट याचिका संख्या 5084/2004 जगदीश राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.09.2005 के पेज संख्या 447 का अवलम्ब लिया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि यदि याची

प्रशिक्षित नहीं है किन्तु याची कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिये बिना चयनित वेतनमान प्रत्याहृत नहीं किया जा सकता है।

3. उपरोक्त परिपत्र व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.1999 को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को पूर्व में चयनित वेतनमान का लाभ वापस नहीं लिया जावे। अपीलार्थी से कोई वसूली की गयी है तो अपीलार्थी को वसूल की गयी राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाई जाए।
4. उपरोक्त आदेश की पालना 3 माह में की जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)